

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग,  
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:- ल0सि0मो0-अनियमितता-201/2020-1588(मौ0)

/पटना,दिनांक:-19/8/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,  
अधीक्षण अभियंता,  
मुख्यालय अनुश्रवण,  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,  
लघु सिंचाई प्रमंडल, रोहतास (सासाराम)।

विषय:- जल-जीवन-हरियाली अभियान अन्तर्गत संझौली प्रखंड के सिअरूआ ग्राम में चल रहे आहर पईन जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरते जाने के संबंध में।

प्रसंग- श्री भगवान प्रसाद, भार्गव, पिता-सबुरी पंडीत, ग्राम+पो0-सिअरूआ, भाया-संझौली, जिला-सासाराम द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में श्री भगवान प्रसाद, भार्गव, पिता-सबुरी पंडीत, ग्राम+पो0-सिअरूआ, भाया-संझौली, जिला-सासाराम द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। प्राप्त आवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि विषयांकित कार्य में संवेदक द्वारा बरती जा रही लापरवाही की जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय तथा सड़क से मिट्टी हटाकर इसे Motorable बनाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता (मु0)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1588(मौ0)

/पटना, दिनांक-19/8/2020

प्रतिलिपि:- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना जिला पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता (मु0)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1588(मौ0)

/पटना, दिनांक-19/8/2020

प्रतिलिपि- श्री भगवान प्रसाद, भार्गव, पिता-सबुरी पंडीत, ग्राम+पो0-सिअरूआ, भाया-संझौली, जिला-सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता (मु0)

अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

क्षेत्रीय अवर सचिव

लघु जल संसाधन विभाग

बिहार सरकार पटना

S.E(M) विभाग  
 लघु जल संसाधन विभाग  
 बिहार, पटना  
 03 JUL 2020

विषय:- जल जीवन हरियाली योजना अन्तर्गत विद्ये जा रहे  
 कार्य में कई बंझने पर अनियमितता के संबंध में।  
 महाशय,

आपके द्वारा निर्गत आदेश सं० पत्रांक: ल० सि० मा०  
 ज० जी० हरि-1 जांच 139/20-929 (मा०) के क्र० सं० 2 में मिट्टिका  
 प्रालि से निवास कर में 2 पर दबाया जाना (कर्मस्थान) करना था  
 जबकि मिट्टी को यथा तत्र देका गया है। जिससे सक्षम जाय  
 हा गया। इस कारण प्रति दिन कपी होने से माटर  
 साइकिल स्वार दुर्घटना शक्य हो रहे है।

3854  
 03/07/2020

जस  
 06-07-2020

क्षेत्रीय राहगाह जिला अंतर्गत संझौली

प्रखण्ड के सिपाहवाँ ग्राम में संकटक द्वारा बीस (20) विसानों  
 को 220 रूपी प्रति टैलर के दर से लगभग 1000 रूपी मिट्टी  
 कन्या गया है।

पंकज जी  
 अमर बसु  
 राहगाह  
 संझौली  
 जिला  
 पटना  
 2020

आपके द्वारा जारी कीसी भी आदेश का फालत  
 नहीं विद्ये जाये के कारण सरकार के महत्वाकांक्षी योजना जल  
 जीवन हरियाली अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगा।  
 यही हालत पूरे संझौली प्रखण्ड में है। जिसकी उच्च स्तरीय जांच  
 कराने की आवश्यकता है। यह कि सम्पूर्ण आरक्षक अधिकारी मुक्त में  
 के बाद कि संकटक द्वारा आधा-अधुरी आधा कीस फाई का कार्य दिया  
 जाया जिससे ग्रामिणों में काफी आशंका है। पुनः आरक्षक अधिकारी  
 होने का कार्य बना हुआ है।  
 अतः क्षेत्रीय से किन्तु निवेदन है कि लगभग 39  
 लाख रु० करायें जा रहे हैं। अपना लक्ष्य प्रति कृषक इसको लिए उच्च  
 स्तरीय जांच ग्रामिणों के सामने कराने का इच्छा करें। इस कार्य के  
 लिए क्षेत्रीय का सहयोग अप्तारी रहेगा।

एक-एक प्रतिलिपि

1. कार्यपालक अधिकारी लघु-जल संसाधन प्रखण्ड लालाग
2. जिला पदाधिकारी सासाराम

विशुवा लाला जग  
 गृहीण जगत का

हस्ताक्षर  
 P. N. 0

रज विजय सिंह  
अनु पारवत

Moukhdung Singh

वीरेंद्र सिंह  
अनिमल बंसल

पिपेन पवार सिंह  
Khan Shukher Singh

लाल बाबु सिंह  
अरविन्द सिंह

जोग नारायण बाबू

सुनील कुंठे सिंह

अश्वीका पाल

वनी महता

श्याम नारायण सिंह

कमलेश. पारवत

विजेंद्र शर्मा

प्रेमचन्द्र प्रसाद

सुनील चण्डी

उमेश शर्मा

सुदेश शर्मा

रामचन्द्र शर्मा

विश्वी सिंह

Vikash Singh

Chandan Singh

लाल मोहर पाल

सुनील पाल